न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 62/2018

1. जगदीश प्रसाद (मृतक)

1/1 विजय सिंह	पुत्रान		स्व0 जगदीश प्रसाद जाति मीना निवासी नयावास ब्रहमबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर
1/2 ओमप्रकाश			
1/3 किशनसिह			
1/4 किन्नी पत्नी			

........अपीलान्ट

बनाम

1. बन्द्रीप्रसाद पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी नयावास ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

.......रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 04.09.2017 तहसीलदार बयाना। नामान्तरकण संख्या 603 दिनांक 25.09.2017 वाके ग्राम ब्रहमबाद तहसील बयाना।

उपस्थित :– 1–श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्टान

2–राजकीय अभिभाष

अपील संख्या 79/2018

1. जगदीश प्रसाद (मृतक)

1/1 विजय सिंह	पुत्रान		स्व0 जगदीश प्रसाद जाति मीना निवासी नयावास ब्रहमबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर
1/2 ओमप्रकाश			
1/3 किशनसिह			
1/4 किन्नी पत्नी			

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जगदीश प्रसाद बनाम बन्दीप्रसाद वगै0
अपील संख्या 62 / 2018, 79 / 2018

.......अपीलान्ट

बनाम

1. बन्दीप्रसाद पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी नयावास ब्रहमबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

........रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 04.09.2017 तहसीलदार बयाना। नामान्तरकण संख्या 853 दिनांक 25.09.2017 बाकै ग्राम कोढीखेडा तहसील बयाना।

उपस्थित :– 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 17.02.2021

उपरोक्त दोनों अपीलों में समान पक्षकारान के हित एवं समान आराजी होने के कारण दोनों पत्रावलियों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलान्ट ने यह अपील आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 04.09.2017 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 603 दिनांक 25.09.2017 एवं 853 दिनांक 25.09.2017 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2017 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 603 दिनांक 25.09.2017 वाकै ग्राम ब्रहमबाद तहसील बयाना एवं 853 दिनांक 25.09.2017 ग्राम कोढीखेडा तहसील बयाना खारिज किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 109 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई है। बकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 04.09.2017 की पलाना में नामान्तरकरण 603 दिनांक 25.09.2017 वाकै ग्राम ब्रहमबाद तहसील बयाना एवं नामान्तरकरण संख्या 853 दिनांक 25.09.2017 वाकै ग्राम कोढीखेडा तहसील बयाना खोले जाकर स्वीकृत किये गये है। तहसीलदार बयाना ने अपने आदेश दिनांक 04.09.2017 से गोदनामा दिनांक 28.12.98 को वैद्य घोषित किया जाकर बन्दीप्रसाद को रामजीलाल व गिर्राजी धर्मपत्नी रामजीलाल का वारिस घोषित किया है। तहसीलदार द्वारा किया गया उक्त आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है, केवल माननीय सिविल न्यायालय को ही वारिस घोषित करने का अधिकार है। साथ ही गोदनामा उसी स्थिति में स्वीकार्य है जबकि उस पर "माता" के हस्ताक्षर हो अपनी बात के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा आर.आ.टी. 2010 पेज 520, डी.एन.जे. 1995 एससी पेज नजीरे पेश की। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 04.09.2017 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 603 दिनांक 25.09.2017 वाकै ग्राम ब्रहमबाद एवं नामान्तरकरण संख्या 853 दिनांक 25.09.2017 वाकै ग्राम कोढीखेडा तहसील बयाना खोला जाकर स्वीकार किये गये है। तहसीलदार बयाना ने विधिक प्रकिया अपनाकर दोनों नामान्तरकरण स्वीकृत किये है। अतः अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया। नामान्तरकरण संख्या 603 द्वारा गिर्राजी पत्नी रामजीलाल जाति मीना सा. देह खातेदार के स्थान पर बन्दीप्रसाद दत्तक पुत्र रामजीलाल जाति मीना सा. नयावास खातेदार एवं नामान्तरकरण संख्या 853 द्वारा रामजीलाल पुत्र बंशी हि. 1/6 कौम मीना सा. नयावास स्वीकार किया गया हैं। उक्त नामान्तरकरण गोदनामा दिनांक 28.12.98 के सम्बन्ध में तहसीलदार बयाना द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 041.09.2017 के आधार पर दर्ज किये गये है। कथित गोदनामा अपंजीकृत है। तहसीलदार बयाना द्वारा गोदनामे पर हस्ताक्षरित गवाहों के बयान लेकर एवं सार्वजनिक विज्ञप्ति के प्रकाशन द्वारा कथित गोदनामें पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

आपत्तियां आमंत्रित करके निर्णित किया है। प्रस्तुत गोदनामें पर गिर्राजी धर्मपत्नी रामजीलाल के भी अंगूठा निशानी है। जहां तक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है तो यह सही है कि निर्णय दिनांक 04.09.2017 में अंकित बन्द्रीप्रसाद को रामजीलाल का वारिस घोषित करना तहसीलदार बयाना के क्षेत्राधिकार से परे जाकर है। केवल माननीय सिविल न्यायालय को ही वारिस के सम्बन्ध में उदघोषणा का अधिकार है, परन्तु गोदनामें के सम्बन्ध में न्यायालय तहसीलदार द्वारा गोदमामें को वैद्य घोषित करने के सम्बन्ध में कोई त्रुटि नहीं की है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 603 व 853 तहसीलदार बयाना के उक्त निर्णय के आधार पर ही किया गया है। जहां तक गोदनामें के फर्जकारी से बनाये होने का सम्बन्ध है तो इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा इस बाबत कोई मुकदमा दर्ज कराया हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अस्तुः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि:—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार बयाना की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)